

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 2292] No. 2292] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 20, 2016/भाद्र 29, 1938

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 20, 2016/BHADRA 29, 1938

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2016

का.आ. 3004(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहुनि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास नियम 2000 के नियम 5 के साथ पठित, राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहुनि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44) की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार की सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 881(अ), तारीख 22 सितम्बर, 2000, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खंड 3, उपखंड (іі) में तारीख 25 सितम्बर, 2000 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थातु:-

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 8 से क्रम संख्या 10 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमश: निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-

"8. श्री अजीतसिंह महावीर सिंह शेखावत, कुदासन,	सदस्य,
गांधीनगर, गुजरात	(नामनिर्देशन द्वारा, निःशक्तता- प्रमस्तिष्क घात से ग्रस्त
	व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त)
9. डॉ. सुतापा सर्मा,	सदस्य,
गुवाहाटी, असम	(नामनिर्देशन द्वारा, निःशक्तता- बहुनिःशक्तता ग्रस्त
	व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त)

4495 GI/2016 (1)

10. डॉ. पी अरुमुगम पिल्ले,	सदस्य,
पुतु विल्लय, तालाकुल्लम, नेय्युर,	(नामनिर्देशन द्वारा, निःशक्तता - बहुनिःशक्तता ग्रस्त
कन्याकुमारी, तमिलनाडू	व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त)" ।

[फा. सं. 26-3/2013-डीडी-ा।]

अवनीश कुमार अवस्थी, संयुक्त सचिव

िटप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग Ⅱ, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 881(अ), तारीख 22 सितम्बर, 2000 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् का.आ. 90(अ), तारीख 12 जनवरी, 2016 द्वारा संशोधित की गई।

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

[Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2016

S.O. 3004(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 3 of the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (44 of 1999) read with sub-rule (5) of rule 3 of the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Rules, 2000, the Central Government, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Social Justice and Empowerment number S.O. 881(E) dated the 22nd September, 2000 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) dated the 25th September, 2000, namely:-

In the said notification, for serial numbers 8 to 10 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

"8.	Shri Ajeetsingh Mahavirsingh Shekhawat, Kudasan, Gandhinagar, Gujarat	Member (Appointed by nomination to represent persons with disability – Cerebral Palsy)
9.	Dr. Sutapa Sarma, Guwahati, Assam	Member (Appointed by nomination to represent persons with disability – Multiple Disabilities)
10.	Dr. P. Arumugam Pillai, Puthuvilai, Thalakulam, Neyyoor, Kanyakumari, Tamil Nadu	Member (Appointed by nomination to represent persons with disability – Multiple Disabilities)".

[F. No. 26-3/2013-DD-III]

AWANISH KUMAR AWASTHI, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) vide number S.O. 881(E), dated the 22nd September, 2000 and lastly amended *vide* notification number S.O. 90(E), dated the 12th January, 2016.